राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1979/2023

ममता कुमारी –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीया वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर तहसील बयाना, भरतपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बाड़ी धौलपुर में प्रयागराज शर्मा के स्थान पर किया गया। अपीलार्थीया का स्थानांतरण विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुये किया जाना बताया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश अपीलार्थी पर लागू नहीं होते हैं। अपीलार्थीया वर्तमान में परिवीक्षा पर है। अतः परिवीक्षा के दौरान अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया है कि अपीलार्थी विधवा महिला है। अपीलार्थीया चुनावी कार्य से जूड़ी हुई नहीं है और अपीलार्थीया का स्थानांतरण भी रिक्त पद पर नहीं किया गया है। अपीलर्थीया के वर्तमान पद पर अन्य किसी का स्थानांतरण भी नहीं किया गया है। अपीलार्थीया गृह जिले में पदस्थापित नहीं है, बल्कि वह उत्तरप्रदेश की है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश अपीलार्थीया पर लागू नहीं होते है।
3. प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत करते हुए यह अंकित किया है कि अपीलार्थिया का गृह जिला जयपुर है एवं गृह जिले में ही पदस्थापित होने के कारण अपीलार्थीया का स्थानांतरण/पदस्थाापन विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक

437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2023 दिनांक 02.06.2023, 22.02.2019 एवं निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023, 2658 दिनांक 04.07.2023 एवं क्रमांक 1050 दिनांक 28.07.2023 के क्रम में राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7(1) राज–1/ 2015 दिनांक 31.07.2023 की पालना में किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर से अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.05.2023 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में अंकित प्रत्येक बिन्दूओं के संबंध में विधान सभा चुनाव से जुड़े ऐसे तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिनका गृह विधान सभा क्षेत्र हो, जिनका गृह जिला हो या जिनकी सेवा अवधि गत 4 वर्षो में से 3 वर्ष से अधिक हो गयी हो एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर निर्वाचन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2023 दिनांक 02.06.2023 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7(1) राज–1/ 2015 दिनांक 31.07.2023 एवं क्रमांक 2626 दिनांक 31.07.2023 जारी किया गया है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थीया का गृह जिला जयपुर होना बताया है। गृह जिले में पदस्थापन होने के कारण स्थानांतरण किया जाना बताया है। जबकि अपीलार्थीया का स्थानांतरण भरतपुर से धोलपुर किया गया है। ऐसे में यह स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलार्थीया का गृह जिला जयपुर होने के कारण अपीलार्थीया का स्थानांतरण किया गया है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थीया एक विधवा महिला है तथा जिस स्थान पर अपीलार्थीया का स्थानांतरण किया गया है, वह रिक्त स्थान नहीं है, जबकि वहां अन्य व्यक्ति कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग यह बताने में असमर्थ रहा है कि अपीलार्थीया किस प्रकार से चुनाव से जुड़ी हुई है या वह गृह जिले में पदस्थापित है। वर्तमान स्थान पर अपीलार्थीया को 3 वर्ष से अधिक समय भी नहीं हुआ है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पारित दिशा–निर्देश अपीलार्थीया पर लागू नहीं किये जा सकते है।

5. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीया की हद तक आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2023 को अपास्त किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)